दिनांक 07.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 08/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद आजमगढ़/थाना बरदह</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 हुंडई कार**
- **02 मोबाइल फोन**
- **नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 07.02.2025 को थाना बरदह पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोदहरा चौराहा के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त आशीष उर्फ छोटू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 हुंडई कार, 02 मोबाइल फोन, नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बरदह पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेन्ज स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बरदह पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–आशीष उर्फ छोटू निवासी विक्रमगंज धनगाई थाना विक्रमगंज जनपद रोहतास,बिहार।

<u>बरामदगी</u>

1–01 हुंडई कार।

2–02 मोबाइल फोन।

3–नगद रूपये।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सीतापुर/थाना तालगॉव

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांकः 07.02.2025 को थाना तालगॉव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नहर पटरी लश्करपुर के पास बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त महबूब आलम उर्फ बाला घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से नगद रूपये, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मानपुर जनपद सीतापुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना तालगॉव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–महबूब आलम उर्फ बाला निवासी नवाबसाहा पुरवा थाना तम्बौर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–नगद रूपये।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद फतेहपुर/थाना जहानाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 07.02.2025 को थाना जहानाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम तेजा नगर के जंगल में बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शहाबुद्दीन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से नगद रूपये, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद फतेहपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जहानाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शहाबुद्दीन निवासी काजीटोला थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1–नगद रूपये।

2–01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद कासगंज/थाना गंजडुण्डवारा

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **निर्मित/अर्द्धनिर्मित 05 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **06 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **14 हजार रूपये नगद**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांकः 07.02.2025 को थाना गंजडुण्डवारा व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम पचपोखरा में खाली पडे खण्डहर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त 1–गुलाम हुसैन उर्फ गुलाम नवी 2–जमील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से निर्मित/अर्द्धनिर्मित 05 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 06 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, 14 हजार रूपये नगद, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त गुलाम हुसैन उर्फ गुलाम नवी के विरूद्ध जनपद कासगंज के विभिन्न थानों पर आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना गंजडुण्डवारा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुलाम हुसैन उर्फ गुलाम नवी निवासी ग्राम नागर कंचनपुर थाना सन्नगढी कासगंज, हाल पता–मौहल्ला नगला इमामबख्श कस्बा व थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज।

2–जमील निवासी ग्राम पचपोखरा थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज।

बरामदगी

1–निर्मित/अर्द्धनिर्मित 05 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–06 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–14 हजार रूपये नगद।

4–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद बस्ती/थाना सोनहा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल**
- **02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांकः 07.02.2025 को थाना सोनहा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अइला घाट पुल के पास से 03 अभियुक्तो 1–कृष्ण मणि 2–विक्रम 3–मुकेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल 02 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस संबंध में थाना सोनहा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कृष्ण मणि निवासी ग्राम विशुनपुर थाना गौर जनपद बस्ती।

2–विक्रम निवासी भुईगावा थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

3–मुकेश निवासी कुक नगर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1–चोरी की 07 मोटर साइकिल।

2–02 मोबाइल फोन।

- **जनपद हापुड़/थाना हाफिजपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 07 अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना हाफिजपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राजू उर्फ राजीव 2–विवेक 3–आकाश 4–महेश 5–राजकुमार उर्फ भूरा 6–सुशील 7–अभियुक्ता को आजीवन सश्रम कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट वाराणसी/थाना लोहता (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय वाराणसी द्वारा थाना लोहता पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अनिल कुमार 2–अरविन्द कुमार को सश्रम आजीवन कारावास व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 20–20 वर्ष के कारावास की सजा व 60–60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376डी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रवि 2–सुन्दर को 20–20 वर्ष के कारावास व 60–60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना महरूआ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना महरूआ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376ए,बी भादवि व 5ड़/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नरेन्द्र को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलरामपुर/थाना ललिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलरामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलरामपुर द्वारा थाना ललिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 सपठित धारा 5(एम)(1) व 5(जी) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कालिया उर्फ अरबाज को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना नरौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना नरौरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजकुमार को 10 वर्ष के कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सतरिख पर पंजीकृत अभियोग में धारा 64(2)(के) बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त अवधेश उर्फ लंकेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।